भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2290

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

फूड एप्लीकेशनों द्वारा सुपुर्द किए गए गर्म भोजन का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव

2290. श्री अनिल बलूनीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ऑनलाइन खाद्य वितरण ऐप्स के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्लास्टिक कंटेनरों में सुपुर्द किए जाने वाले गर्म भोजन के प्रतिकूल प्रभाव का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन या सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सुरक्षा स्वास्थ्य मानदंडों के दृष्टिगत ऐसे ऐप्स के माध्यम से खाद्य वितरण सेवा से संबंधित कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सूचित किया है कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का अधिदेश खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करना और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना है ताकि मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के अनुसार, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, तैयारी, भंडारण, पैकिंग, परिवहन और बिक्री या सेवा के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री जो भोजन के सीधे संपर्क में आती है या भोजन के संपर्क में आने की संभावना है, खाद्य की बिक्री या सेवा की खाद्य गुणवत्ता श्रेणी की होनी चाहिए। प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक को राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण बोर्ड और अंशांकन प्रयोगशाला (एनएबीएल) जो पैकेजिंग सामग्री के लिए प्रत्यायित प्रयोगशाला है, द्वारा जारी अनुरूपता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। एफएसएसएआई ने एफएसएस (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 के तहत लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी आदतों को भी निर्दिष्ट किया गया है। यह खानपान सेवाओं में शामिल खाद्य व्यवसायों पर भी लागू होता है।

एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स व्यवसाय संचालकों के लाइसेंस और पंजीकरण के लिए उनके उत्तरदायित्वों के साथ-साथ प्रक्रियाएँ भी निर्दिष्ट की हैं। तदनुसार, ई-कॉमर्स एफबीओ को अन्य बातों के अलावा, यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सूचीबद्ध विक्रेता लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत हों, स्वच्छता मानकों का पालन करें, अनिवार्य खाद्य संबंधी जानकारी प्रदान करें, भ्रामक दावों से बचें और गैर-अनुपालन वाले उत्पादों को सूची से हटा दें।

अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, एफएसएसएआई, केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से, पूरे वर्ष ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन बेचे जाने वाले खाद्य उत्पादों सहित, खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूना चयन करता है। गैर-अनुरूप पाए जाने पर, एफएसएस अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सुधार संबंधी नोटिस जारी करने, प्रचालन निलंबित करने, जुर्माना लगाने आदि सहित उपाय किए जाते हैं।
